



महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक टी०एम०-प्राधि० पत्र-(16-17)-
No.
दिनांक - -2016
Dated

सेवा में,

कोषागार पदाधिकारी,

.....
स्िवान
.....

विषय:- कार्यपालक अभियंता के पक्ष में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्राधिकार पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या 876 दिनांक 20.04.2016, 877 दिनांक 20.04.2016, 878 दिनांक 20.04.2016, 879 दिनांक 20.04.2016, 939 दिनांक 29.04.2016, 940 दिनांक 29.04.2016, 941 दिनांक 29.04.2016, 1057 दिनांक 10.05.2016, 1058 दिनांक 10.05.2016 और 1059 दिनांक 10.05.2016 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 39 दिनांक 11.05.2016, 40 दिनांक 11.05.2016, 41 दिनांक 11.05.2016, 42 दिनांक 11.05.2016, 43 दिनांक 11.05.2016, 44 दिनांक 11.05.2016, 48 दिनांक 13.05.2016, 49 दिनांक 13.05.2016 और 50 दिनांक 13.05.2016 तथा वित्त विभाग के पत्र संख्या- एम-4-20/2014-4129 दिनांक 19.05.2016 के आलोक में जल संसाधन विभाग के अधीन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यालयों का पुनर्गठन करते हुए संबंधित कार्यपालक अभियंता को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत किया गया है।

अतः कार्यपालक अभियंता,
रूपीकण प्रमंडल, स्िवान

को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत करने हेतु अनुरोध है कि स्वीकृत राशि की निकासी बिहार वित्तीय नियमावली/बिहार कोषागार संहिता -2011 तथा वित्त विभाग के ज्ञापांक 7355 वि०(2) दिनांक 05-10-2007 एवं समय-समय पर निर्गत सरकारी आदेश के आलोक में उनके द्वारा प्रस्तुत विपत्रों/चेकों का भुगतान करने की व्यवस्था की जाय ।

भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मामले से संबंधित राशि का भुगतान वित्त विभाग के किसी आदेश/द्वुतादेश के अन्तर्गत तो नहीं किया गया है । स्वीकृत राशि तथा आवंटन से अधिक राशि की निकासी के लिए कोषागार पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे ।

राशि की निकासी निम्नलिखित बजट शीर्ष से की जायेगी-

क्रम सं०	बजट शीर्ष
1	P 2705000010204
2	P 2705000010304
3	P 2711010010106
4	P 4700010510101
5	P 4700010510103
6	P 4700010510204
7	P 4700010510304
8	P 4700017890101
9	P 4700020510101
10	P 4700020510103
11	P 4700027890101
12	P 4700030510101
13	P 4700030510103
14	P 4700030510204
15	P 4700030510304
16	P 4700030510205
17	P 4700030510305
18	P 4700037890101
19	P 4700040510101
20	P 4700040510103
21	P 4700040510204
22	P 4700040510304
23	P 4700800050101
24	P 4700800510102
25	P 4701030510101
26	P 4701030510103

क्रम सं०	बजट शीर्ष
32	P 4711010510101
33	P 4711010510102
34	P 4711010510104
35	P 4711010510105
36	P 4711010510106
37	P 4711010510209
38	P 4711010510309
39	P 4711017890101
40	P 4711017890102
41	P 4711017890103
42	S 2700800020402
43	S 4711010510408
44	N 2700010010001
45	N 2700011010002
46	N 2700020010001
47	N 2700021010002
48	N 2700030010001
49	N 2700031010002
50	N 2701011010002
51	N 2701031010002
52	N 2701040010001
53	N 2701041010002
54	N 2701800010001
55	N 2701800010003
56	N 2701801900001
57	N 2711010010003

27	P 4701037890101
28	P 4701040510101
29	P 4701040510103
30	P 4701047890101
31	P 4701800050101

58	N 2711011030002
59	N 2711030010001
60	N 2711031030002
61	N 3451000900009

भवदीय,

६०/—

वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-टी०एम०/प्राधि० पत्र (15-17) 928 दिनांक 26.05.16
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सरकार के संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्रांक-876 दिनांक 20.04.2016 के संदर्भ में ।
2. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना को उनके पत्र सं०-4129 दिनांक 19.05.2016 के संदर्भ में ।

3. कार्यापालक अभियंता, रूपकण प्रमंडल, जलसंसाधन विभाग
सिवान ।

4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना ।


वरीय लेखा अधिकारी
बिहार, पटना 26/5/16